

गया। अब मैंने रूलिंग दे दी है कि चूंकि फिर उस कैटेगरी में ही आया है इसलिए अब इसको उठाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस रूलिंग के बाद आप कृपा करके बैठ जाइए।

श्री भोगेन्द्र भा : इस पर सदन को अपनी राय देने का अवसर दें।

सभापति महोदय : एक मंताबा अवसर दे दिया गया है।

15.10 hrs.

CONFERMENT OF DECORATIONS
ON PERSONS (ABOLITION)
BILL—*Contd.*

MR. CHAIRMAN : We will now take up further discussion on the Conferment of Decorations on Persons (Abolition) Bill. Mr. Bedabrata Barua.

SHRI BEDABRATA BARUA (Kaliabor) : Sir, last time we had occasion to discuss the subject in relation to the general feeling against even these feudal decorations that were existing in our country from the time of independence and even earlier, I had occasion to say that these feudal decorations did have certain respectability. Even then, we did well in throwing away these privileges and honours on the bland argument that a republican and democratic system cannot possibly have these incongruities and anachronisms. Now that we have this Bill before use national debate is inevitable on the merits of the awards and decorations that had been granted by the Government annually. It is in the fitness of things that the whole country has taken a very keen interest in these awards and opinions had been expressed. What is very significant is that a system which is republican, not in the totalitarian or socialist sense, but having a parliamentary system is capable of accommodating itself to the grant of awards. This had happened in America, I gave examples the other day. This is bound to happen in our country also. The awards have not been fitted into and could not be fitted into

the social structure that we have adopted or the political atmosphere in which we live today. There are signs of rejection by the people... (Interruptions) This popular rejection has been evident in the numerous editorials and other opinions that had been expressed. In fact from the time of their institution the awards have come down so much in public esteem that only when somebody has done something wrong these titles are used in a very taunting sense. Otherwise these titles do not come to be used. I do not say that they were given with any intention of bringing them into disrepute. I have no doubt the intentions were good and there are also many things to be said in favour of awarding these titles. It is also true that all systems including that US system have found some way of awarding such titles. Even then we found how exactly have worked out and how they have been utilised. In our society where a lot of things have to be destroyed and pulled down, men who need to be honoured have not been honoured; even in western or English society, they had not been honoured and could not possibly be honoured. Men like Shaw, GH Cole and Aldous Huxley and men of their type challenged practically every institution that was socially acceptable, including marriage. They were iconoclasts and it is my personal view that in India we require possibly a great number of such iconoclasts who will pull down symbols and ideals because sometimes we have a cornered society which is tied down to a past out of which we must emerge into the present and the future. It would never be possible to honour an innocent man but a man of achievement; it would be much more difficult to honour a man who tries to revolutionise society.

श्री भोगेन्द्र भा (जय नगर) : सभापति महोदय, हाउस में कोरम नहीं है। अगर कोरम हो जाये तो मैं कमेटी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहूँगा।

सभापति महोदय : कोरम है।

SHRI BEDABRATA BARUA : I have absolutely no doubt that only a man who

[Shri Bedabrata Barua]

is beyond all controversy, whose contributions have become stale, can be honoured with some possibility that there would be no risk about that being challenged. In our society as it is today, everything is being challenged. When an honour is given in a feudal society, it is all right. Even in a communist society, it may be all right because in a feudal or communist society, the Government's prestige is never questioned. When the prestige of the Government is questioned, the honours given would be considered to be given under political influence. I do not think in our country honours are given under political influence. The list of honours would show that quite a large number of them would be completely noncontroversial. They may not be of highest quality of men, but certainly they are non-controversial and that should have gone in its favour. But the point remains that in our society it is hardly possible to find a number of non-controversial great men who can be honoured.

I would concede that when the honours were started, the intentions were quite laudable. We wanted to create a system by which we could encourage service to society and community, honest attempts to pursue the truth and also to give some sort of respectability to the ruling class. It is sometimes necessary in any society. Though personally, I would not like to give any respectability to any ruling class, the ruling class, the ruling class has always created some respectability around it. When King Gustov of Sweden went to Germany on a State visit, he was compliment for the achievements of Scheele, a scientist who discovered magnesium. But King Gustov, may be a great ruler, had absolute no idea of what Scheele was. He sent cable home saying this man must be honoured. He asked his ministers to make Scheele a Count. The ministers also did not have any idea of who Scheele was. They caught hold of one Scheele who was a champion at billiards and made him a Count. The real Scheele remained unhonoured. I do not say that these things will happen today. We are advanced, but there is quite a likelihood that this may be

used by businessmen for business advantages; and by politicians for political advantages. A political lead in a particular State may think that the defector may be the most honourable man to be honoured !

I would say, the system of honours, the manner in which we have given them, requires to be reconsidered. As Acharyaji pointed out, the Constitution is very clear that we do not honours in this manner possibly. We call them awards. Even then, possibly we could not give a plethora of awards every year. We have taken it rather prosaically. We have imitated the British tradition. We need not imitate a British practice which does not fit in with our structure of society. Today we have to re-examine the whole question and find out how these honours can be given only to a very few people and whether they can be honoured through universities or academic or other methods.

So far as military honours are concerned, they should continue. I believe that a reconsideration of the whole matter is called for. This has not really functioned very well and should be discontinued. I believe that we should not only reconsider the matter but should stop giving these honours in the fashion that we are giving.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : आचार्य कृपलानी जी ने जो विधेयक हम लोगों के सामने पेश किया है, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ। इस पर लम्बा चौड़ा भाषण करने की आवश्यकता नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों की राय है कि इस तरह के एवार्ड देना संविधान के बरखिलाफ है। कल रात मैं डॉ० सुब्बा राव की किताब पढ़ रहा था। वह सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने विमन लाल सीतलवादा व्याख्यान माला में इसके बारे में भी कुछ बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का डिस्टिक्शन और दूसरा जो अपवाद उसमें किया गया है, उसके अलावा किसी भी तरह का इस तरह का एवार्ड देना, संविधान की हत्या करना है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : किसी मुकदमे में यह राय उन्होंने व्यक्त की है ?

श्री मधु लिमये : उनके राय की कुछ तो आप कीमत करिए। मतभेद तो होता है...

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : संविधान के मामले में मैं आपकी राय की ज्यादा कद्र करता हूँ डा० सुब्बा राव के मुकाबले में।

श्री मधु लिमये : मैंने तो पहले ही कह दिया है कि मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूँ। मैं कुछ लोगों की जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की यह राय नहीं है लेकिन डा० सुब्बा राव जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी भी यही राय है। श्री लोबो प्रभु बगैरह के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब डा० सुब्बा राव के बारे में कोई भी यह नहीं कहेगा कि वह बहुत बड़े समाजवादी हैं। बल्कि जायदाद बगैरह, सम्पत्ति बगैरह के मामले में उनकी राय और हमारी राय में जमीन और आसमान का फर्क है, यह आप जानते ही हैं। इसलिए जब उनके जैसा व्यक्ति भी कहता है तो मैं क्या कानून मंत्री से यह आशा कर सकता हूँ कि वह अपने जवाब में घिच पिच वाले सवाल को छोड़ें...

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : मैं जवाब नहीं दे रहा। होम मिनिस्टर का यह सब्जेक्ट है।

श्री मधु लिमये : लेकिन आपके मंत्रालय ने कभी राय दी है कि यह संविधान के अनुकूल है नहीं ? एवाडं देने के पहले आपके पास या उस समय के जो एटर्नी जनरल थे, उनके पास कभी यह मामला गया था ? इसके बारे में कभी आप खुलासा करेंगे ? यही फंफट है

कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में भी एलर्जि होता है तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा होता है...

SHRI NATH PAI (Rajapur) : Mr. Chairman, there is a point of order. The point Shri Madhu Limaye is raising are very important. Dada Kripalani's motion is of great interest to us all. Now we are told by the Law Minister that the reply will be given by the Home Minister. Is it showing sufficient respect to the House that those who are going to reply are not going to bother to listen to the arguments in support of the Bill ? How is the reply to be given ? Is the reply to be a tailor-made one that since this is an Opposition Bill it has to be opposed ? Why is there not somebody to take note of the points and answer them point by point ? It is not enough that there should be quorum but you should direct the minister to be present and till then we should suspend the debate.

SHRI K HANUMANTHAIYA : The Minister of State has just now gone out only for two minutes.

श्री रवि राय (पुरी) : सभापति महोदय, आप कैबिनेट स्तर के मंत्री को कहें कि वह यहां रहें, भाषणों को सुनें और उसके बाद जवाब दें।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : अभी एक मिनट के लिए उठ कर गए हैं।

सभापति महोदय : होम मिनिस्टर अभी आ जाते हैं।

श्री मधु लिमये : मैं यही मान कर चल रहा था कि श्री हनुमन्तय्या साहब इसका जवाब देने वाले हैं और इसीलिए वह यहां बैठे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं।

आचार्य कृपलानी जी ने जो सवाल उठाया है वह महत्वपूर्ण सवाल है संविधान में जो 18वीं धारा है और जिसको बुनियादी अधिकार कहा गया है उस बुनियादी अधिकार का मुकदमा

[श्री मधु लिमये]

यह है कि उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ऐसी हालत में आचार्य कृपालानी जी ने इस क़दम को रूढ़ा है कि संबैधानिक के बरखिलाफ़ आप लौम काम कर रहे हैं। ऐसी हालत में क्या संबैधानिक इसका पहलू है इसके बारे में कानून मंत्री को कुछ कहना चाहिए। मेरी ध्यानाधीन और मैं यह माँग भी करूँगा कि क्लर्क जनरल को भी बुलाया जाय और वह भी राय दे दें और हम लोग सर्व सम्मति से आचार्य कृपालानी जी के विधेयक को यहाँ पास करें।

इसके बारे में कई बार प्रधान मंत्री के साथ हमारा पत्र व्यवहार भी हुआ है। आज यह पदम श्री, पदम विभूषण, पदम भूषण, भारत रत्न आदि जो एवार्ड हैं, ये किन लोगों को दिये जाते हैं? गुजरमन्ध मोदी को। क्या काम किया है...

एक माननीय सदस्य : चन्दा दिया है।

श्री मधु लिमये : कांग्रेस पार्टी को चन्दा दिया, टैक्सों को चोरी की। ऐसे लोगों को यह पदम श्री वगैरह दी जाती है। आश्चर्य की बात है और मुझे अफसोस है इस बात पर कि अली अकबर जैसा जो महान संगीतकार है और बजाने वाला है, उसको भी आप पदम श्री देते हैं, जिसको अगर देना है तो भारत रत्न देना चाहिए था। और आज गुजरमन्ध मोदी जैसे चोर को भी देते हैं। इससे साबित होता है इनकी एवार्ड का कोई मतलब नहीं है। अली अकबर जो महान है वह आप लोगों के पदम श्री की वजह से नहीं है। उसी तरह से मुझे पता नहीं कि यामिनी कृष्णमूर्ति जैसी महान नर्तकी को इन्होंने क्या दिया है, लेकिन अगर दिया भी है...

समानति महोदय : आप "चोर" शब्द कापिस ले लें।

श्री मधु लिमये : मैं नहीं लेता हूँ। मैं साबित करूँगा।

श्री रवी राय : टैक्स चोर।

श्री मधु लिमये : मेरी जब नहीं काटी उन्होंने हालाँकि सभी कस कसर लोगों को काटते हैं। वह अलग बात है।

यामिनी कृष्णमूर्ति महान नर्तकी हैं। कभी उनको एवार्ड दिया है? दिया है तो उसकी वजह से वह महान नहीं है, बड़ी नहीं है। देश में जो महान वैज्ञानिक हैं, महान साहित्यकार हैं, महान संगीतकार हैं, महान कलाकार हैं, उन्हीं को वास्तव में यह भारत रत्न वगैरह देना चाहिए था। लेकिन आप लोग यह राजनीति में काम करने वाले लोगों को देते हैं।

मैं अन्त में इतनी ही प्रार्थना करूँगा कि संबैधानिक पहलू के बारे में इस विधेयक के कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जो इस तरह के महान कलाकार लोग हैं, उनको आपको एवार्डों की आवश्यकता नहीं है। जनता के द्वारा उनको मिल जाता है। बाकी लोगों को देना अनुचित है, गैर मुनासिब है, इसलिए इसको खत्म करो। मेरी यह प्रार्थना है कि संविधान की मर्यादा की आप रक्षा करो।

SHRI N.K.P. SALVE : Mr. Chairman, Sir, though I rise to oppose the Bill..... (Interruption) I would make my submission about constitutional provisions also to Mr. Madhu Limaye for his consideration.

SHRI NATH PAI : You begin with them.

SHRI N. K. P. SALVE : I shall come to them very shortly. But I must hasten to add that any observer who has a fair perspective of the history of India's freedom struggle will not fail to see the noble sentiments and the lofty motives behind this Bill.

The spirit of the Bill, I have to concede, has its own merits because it focuses atten-

tion on certain facets, on certain facets, of awards and decorations, specially some of the facets which have been referred to by Mr. Madhu Limaye, because they are given by a Government headed by politicians who are not likely to be free from pressures. Whether they are there or we are there or anyone else, as long as politician are there anywhere in the world, they are likely to be subjected to certain pressures which may be pernicious and which may be undesirable and specially, in India, it is not only the politicians but also the Government which unfortunately happens to be manned by bureaucracy which is extremely corrupt and one full of intrigues. Therefore, award of decorations. I also has its own limitations see the mover, a true Gandhian, has aversion to any pomp and ostentation and also his dislike to vulgarly showiness and that is something which is understandable. But I am unable to agree with the content or the provisions of the Bill because they hit at the very root of the institution of the recognition of human merits, of noble deeds of distinguished services, of meritorious record and of exceptional talents. In fact, even Mr. Madhu Limaye and others do not say that people in India have not performed these noble deeds and exceptional acts which require recognition. He only said that the way the whole thing is being done is not fair and proper. I submit I have something different to say. I think, some adulation and applause is necessary. to encourage talents There is a certain amount of incentive, a certain amount of boosting, necessary for human endeavours and the recognition, if properly handled, if awards and decorations are properly handled, it can give the necessary boost to human endeavours. Sir, human, mind, being what it is - after all we are not judging the entire position in a vacuum and when I am speaking of human mind, I am speaking of a normal human mind, not of a person who is a human robot who is not susceptible and who does not take into account normal human feelings, who to indifferent to anything that is going on next to him needs recognition and decides that merits and great talents should be rewarded. The entire wealth of the nation sometimes cannot

give joy, it cannot give the delight which the recognition can give to an artist. Sir, I shall immediately come to the question of the constitutional provisions.

Art. 18 of the Constitution has been relied upon by Mr. Madhu Limaye. In fact it has also been relied upon by the mover of the Bill and the mover of the Bill in the Objects and Reasons has stated that award of decorations is nothing but circumvention of the prohibition contemplated in Art. 18. While dealing with this aspect of the matter I want to make clear that there is no circumvention whatsoever either in spirit or in the letter of Art. 18 in awarding decorations. The mover has stated in the Statement of Objects and Reasons that our Constitution (Art. 18) has abolished all titles but these titles are sought to be brought in by the backdoor methods such as decorations introduced by the Government of India by an executive order, namely, Bharat Ratna, Padma Vibhushan, etc.

Art. 18 of our Constitution reads in the following terms :

"Abolition 18 (c) titles.

- (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State
- (2) No citizen of India shall accept any title from any foreign State."

(2), (3) and (4) are irrelevant. The main phraseology for consideration is that no title not being a military or academic distinction shall be conferred by the State. That means when military or academic distinctions are conferred. (*Interruptions*) Titles to the extent of military and academic distinctions are saved.

My submission is that titles and decorations are entirely different concepts. Title is one thing and decoration is different. And Art. 18 does not speak of decorations at all. What is a Decoration? What is a Title? The Dictionary meaning of 'Title' states: 'a name, a descriptive designation; an appellation significant of office, rank etc.; especially a designation of

[**Shri N. K. P. Salve**]

nobility." The Dictionary meaning of 'Decoration' states: "The act, process or art of decorating; ornamentation; an ornament; A badge or emblem conferred as a mark of honour; a medal." Shri Madhu Limaye is a very sensitive student of Constitutional law and he will appreciate the distinction. (*Interruption*) whether you like it or not, this is the distinction I would like to draw your attention to.

श्री मधु लिमये: यह लोगल डिक्शनरी है या एकाक्सफोर्ड डिक्शनरी है ?

SHRI N. K. P. SALVE : This is from Funk and Wagnalls Standard Dictionary. You can refer to it. You can refer to any Law Lexicon. If I have created this definition merely to buttress my contention, then you can blame me but if this distinction is valid and correct then, it is absolutely irrefutable that Title and Decorations are absolutely two different ideas, two different concepts and Article 18 deals with Titles and not with Decorations. To say that awarding of Titles is repugnant to or contrary either to the spirit or the letter of the provisions of Article 18 is, I submit, with all respect, complete misreading of the Article itself. The Article does not contemplate that Decorations could not be awarded. What Mr. Justice Subba Rao says in this matter is his own view. May be, awarding of Decorations is not liked by many people. We have seen far too many decorations being awarded to people some of whom are not deserving. On that point I don't disagree at all with Shri Madhu Limaye. I have some instances to narrate myself, of undeserving decorations.

But, Sir, it is one thing to say that even if we are permitted by the Constitution, we do not like the granting of such Awards. And, it is quite a different thing to say that Article 18 puts a complete bar on the awarding of Decorations. I submit that Article 18 does not put any such bar on the awarding of Decorations.

I am unable to understand why it is stated in the Statement of Objects and Reasons of the Bill that it is repugnant to the concept

of Socialism and Democracy and that it makes distinction between citizen and citizen. This is given for meritorious services performed by persons in all walks of life, from the richest to the poorest sections.

SHRI NATH PAI : May I interrupt for a minute? Mr. Chairman, the Hon. Member, who is in possession of the floor, quoted Article 18 and gave a farfetched interpretation. The Article reads: 'No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred.' Title includes distinction also. Please see the very wording of Article 18. The word 'Title' also happens to be distinction when it says—'not being a military or academic distinction.' I would like the hon. Member to ponder a little more seriously apart from the dictionary meaning because here itself the word 'Title' happens to include 'distinction.' Distinction is like the awarding of 'Padma Bhushan' 'Padma Vibushan', 'Padma Shri' etc. I would like him to say whether I am correct or not.

SHRI N. K. P. SALVE : I am grateful to Shri Nath Pai. The Article says: "No title, not being a military or academic distinction." Therefore under article 18 it has necessarily to be a title; a distinction to be in the nature of a title is prohibited under article 18, unless it falls within the exception. Again, I will quote the provision which says: 'No title, not being a military or academic distinction'—that means, an academic or military distinction notwithstanding Article 18 can be conferred. This is the simple meaning from the reading of this Article.

SHRI NATH PAI : Distinction only in the military or academic fields.

SHRI N. K. P. SALVE : Title may be a distinction and unless the distinction is academic or military it is not saved. But there is nothing repugnant to Article 18 in awarding of decorations. At any rate, Shri Nath Pai has nothing to say about the two concepts being entirely different. Is it his claim that title also partakes of the character of decorations, and, therefore, these decorations which are of academic and military nature are saved? Here, I must submit that with the utmost respect, I

disagree, because, as I have pointed out, titles and decorations are entirely two different concepts.

The second aspect of the matter is that this type of awarding of decorations is an anachronism, and that this is opposed to the principles of democracy. As long as we draw people who are to be honoured from all walks of life, from the poor, from the rich, from teachers, from artists, from artisans, and irrespective of the social status or the monetary status that they have, I do not understand how it will go either against socialism or against democracy.

AN HON. MEMBER : He wants Rao Sahibs and Rai Sahibs again ?

SHRI N. K. P. SALVE : Do my hon. friends understand the concept of equality ? If they understand the concept of quality, then they would understand what I am saying. Let me explain it. The concept of equality is not that the law is the same for each and everyone, The concept of equality means that amongst equals, the law has to be the same.

SHRI RANGA (Srikakulam) : The law should be the same for everyone.

SHRI N. K. P. SALVE : If my hon. friend does not understand constitutional law, then let him keep quiet. The concept of equality means that amongst equals, the law has to be the same ; the same law does not apply to everybody. That is what I mean by equality. If there are able men, artisans, artists and other people from all walks of life, draw from them, decorate them, and certainly there is no discrimination in that. That is why a rational classification has been accepted.

SHRI RABI RAY : Was Modi an artist ?

SHRI N. K. P. SALVE : I am aware that the decorations have been bestowed indiscriminately on businessmen and others. In fact, one of my suggestions is that any decoration awarded to any person who is

found guilty of any commercial offence should be withdrawn. We should be extremely, strict about the awarding of decorations

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ (Wardha) : Why only commercial crimes ? Let it be any crime.

श्री रवि राय : क्योंकि मोदी साहब को मिला हुआ है.....

श्री कमल नयन बाजाज : उन पर भी करिए, सब पर करिए ।

SHRI PILOO MODY (Godha): Including election offences.

SHRI N. K. P. SALVE : I am entirely agreeable that any types of offences excluding those offences which are committed for political objectives—because Shri Madhu Limaye has been convicted sometimes here and there and such offences are in my opinion, no offences as such—.....

श्री मधु लिमये : उन आफेंसेज के लिए मुझे अभिमान है और फिर मौका आएगा तो फिर करूंगा ।

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : सभापति महोदय, साल्वे साहब को 47 के पहले भी सजा नहीं हुई क्या ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : सभापति महोदय, इसमें कुछ अपवाद करना पड़ेगा और अपवाद ऐसा किया जाय कि मधुलिमये जी, नाथपाई जी और मिश्रा जी छूट जायें ।

Let us have some more serious discussion on this. The next objection is that the government of the day is not the best judge about the merits of the recipient, and that the awards degrade both the giver and the recipient. The second part of the matter is that the awards degrade both the giver and the recipient. I shall make my submissions on this aspect a little later.

[Shri N. K. P. Salve]

But let us examine the earlier proposition that the government of the day is not the best judge about the merits of the recipient. I take it that the government of the day is going to be as bad or as good in future as it is today. Keeping that as the assumption, let us examine this proposal that the government of the day is not the best judge of the merits of the recipient. If the government of the elected people of the country is not the best judge to recognise the merits and exceptional talents of a person or a citizen of the country, who then is the best judge? Is it safer to leave this question of recognition of talents and exceptional deeds and outstanding performances in the hands of any private organisation or some institute or some voluntary organisations? Would they be the best judge? After all, if you accept that the awarding of the decorations is an institution which does give some incentives to human endeavours and does give some recognition to human talents, here I do submit that it is one thing to say the government, though capable of giving the best judgment in certain cases has not given the best judgment. It is an other thing to say that Government is not the best judge of the merits of the matter. My dispute is with the proposition that the Government is not the best judge of the merits of the recipient. Not for a moment do I say that every time a judgment is given about the merits of a recipient it is the best judgment. After all, judges being what they are—they are also human beings—there are always inherent possibilities of errors. The errors can be *mala fide* or *bona fide*. If one were to pore into all the judgements delivered in all these years, decades and centuries, there is bound to be found one error or another. The question is not that, whether or not Government is free from that inherent possibility of an error of judgment. The question is, is there anyone else than Government who can judge the merits better? I should like to know from Acharyaji as to who he thinks to be a better judge than Government of the merits the recipient.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna): God will be the judge. When they die,

they will get their merits or demerits recognised, on the day of judgment.

AN HON. MEMBER: History.

SHRI PILOO MODY: Let him not allow his heathen self to contradict Dada on that score.

SHRI N. K. P. SALVE: Let Shri Mody bear in mind that some day will come when he will be judged.

AN HON. MEMBER: The hon. member also.

SHRI N. K. P. SALVE: All of us will be judged.

SHRI PILOO MODY: The devil will judge him!

SHRI N. K. P. SALVE: It is contended that it degrades or debases not only the giver but also the receiver. So far as the recipient is concerned, I am entirely in agreement with Shri Madhu Limaye that some of them have received these decorations without deserving them in the least. If at all they deserved anything, it was something else. But they have received decorations. In fact, it is within my knowledge that some of them have put their decorations to commercial exploitation. In fact, a certain managing director of a company wrote a letter to me sometime ago. On his letterhead was written 'Ex-Rai Bahadur, Padma Vibhushan' so and so...

SHRI NATH PAI: May I answer Shri Salve's point by quoting from the proceedings of the Constituent Assembly? His contention is that distinctions and titles are very different. His whole case is built on the contention that titles are completely different from distinctions.

SHRI N. K. P. SALVE: That is not my case.

SHRI NATH PAI: No, no; he said it.

SHRI N. K. P. SALVE: I said title by itself is a distinction.

SHRI NATH PAI: I made it very clear when I quoted art. 18; it was to drive

home the point that distinctions and titles are the same. I will quote one paragraph from the Constituent Assembly proceedings where Shri Sri Prakasa says :

"If they want to honour a leader, then I will say, honour him. But we want to abolish this corroding, corrupting practice which makes individuals go about currying favour with authority to get particular distinctions".

This was the point I made earlier, but I understood Shri Salve to hold earlier that distinctions and titles are not the same. If he now shifts his stand, then of course it is a different matter.

SHRI N. K. P. SALVE : Distinctions in art, 18 may have been used in the same sense. I made it very clear—and that was my contention—that titles, to the extent of military and academic distinctions, are saved to the extent they are titles and can be conferred. What I said was that titles and decorations are two different concepts. That is my basic contention.

SHRI J. B. KRIPALANI : Are awards distinctions or not ?

SHRI N. K. P. SALVE : Awards could be distinctions.

SHRI J. B. KRIPALANI : Why does he not go to school again ?

SHRI N. K. P. SALVE : I do not want to reply to Dada, otherwise I could have told him how much more I have learnt since he went to school. I do not want to make any irreverential reference to him. I would request him to listen to others. We have got great respect, reverence and affection for him though we may have different opinion on certain matters.

SHRI J. B. KRIPALANI : This is a question of plain English. It is not a question of my honour.

SHRI N. K. P. SALVE : It is as much plain English for me as for him. He may not agree.

I was submitting that there has been commercial exploitation of this, and I think what infuriated Kripalaniji to move this Bill was the award of decorationst some film producer who made some extremely profane and irreverential reference to Mahatma Gandhi and the award of this decoration, I am told, to the proprietor of a brewery. I admit that these decorations have been given to some of the film people, and that is an aspect which has been causing a whole lot of criticism of the Government, but some of them are really great artistes. For instance Subbulakshmi was given Padma-Bibhusan. It has been conferred on Lata Mangeshkar who has one of the finest and richest voices. What is wrong with it ? The fact that she is working in films does not mean that she does not deserve this decoration.

The criteria for awarding these decorations are not very clear. The Bharat Ratna is to be awarded for exceptional service towards the advancement of art, literature and science, whereas the Padma Vibhusan is to be awarded for exceptional and distinguished service. Bharat Ratna is for exceptional service and Padma Vibhusan is for exceptional and distinguished service. Exceptional and distinguished service must be given the number one decoration and not number two. So, there is a patent fallacy in this type of criteria which has been laid down. It seems some bureaucrat has written this without understanding all these anomalies in the matter. I do hope that they do some amount of rationalisation of this matter. While so rationalising, may I suggest to the Government to have an additional award on its list called Pati Ratna. This should be given to a political husband of a lady who, notwithstanding the political opposition of the wife renders uninterrupted distinguished and exceptional service to the national cause. When the husband and wife are in two different parties, the claim must invariably be conceded.

In view of this submission, I would request Acharya Kripalani to withdraw this Bill, and if he does not withdraw the Bill, may I request

SHRI NATH PAI : He has moved an amendment to the Bill, Amendment No. 1,

[Shri Nath Pai]

An amendment cannot be a complete negation. An amendment means that he accepts the Bill and he wants to improve or change the Bill. Is he withdrawing the amendment or does he stick to it ?

SHRI J. B. KRIPALANI : I am going to accept the amendment.

सभापति महोदय : इसमें अमेंडमेंट का कोई सवाल नहीं है ।

श्री जी० भा० कृपालानी : अमेंडमेंट मूव हुआ है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरा कहना यह है कि एक पति-रत्न का अर्वाइड गृह मंत्रालय और शुरू कर दे दादा अगर इसे विदड़ा कर लेते हैं और नहीं विदड़ा करते हैं तो पत्नी-रत्न को अर्वाइड शुरू कर दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति जी, मैं आचार्य कृपालानी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । जब अंग्रेजी राज्य के दिनों में सरकारी खिताब, राय बहादुर, राय साहब, खान बहादुर यह पदवियाँ बाँटी जाती थीं तो हमारे हृदय में एक चिढ़ होती थी और हम समझते थे कि यह खिताब उन लोगों को दिये जा रहे हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का सोदा किया है, जो विदेशी सत्ता के साथ अपने को जोड़ने में गौरव का अनुभव करते हैं और हृदय में यह भावना उठती थी कि जब कभी देश स्वाधीन हो गया तो फिर इस तरह की किसी भी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा । इसी बात का ध्यान रख कर हमारे सविधान के अनुच्छेद 18 में कहा गया कि सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधियों के सिवाय और कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा । इसके दूसरे उपबन्ध में यह भी कहा गया कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा ।

बाद में जिस ढंग से खिताब दिये गए, जिन लोगों को दिये गए उससे ऐसा लगता है कि अगर संविधान के निर्माताओं का मंशा ठीक भी था तो भी अब तक के अनुभवों के प्रकाश में इसको समाप्त कर देना चाहिए । विद्या और सेना सम्बन्धी विशेषता के लिए राज्य सम्मान कर सकता है । हमने साहित्य अकादमी का निर्माण किया है जो साहित्यिकों को अलंकृत करती है । हमने नाट्य और संगीत अकादमी का निर्माण किया है जो इस विद्या में पारंगतता प्राप्त व्यक्तियों का समादर करती है । हमारे देश में कृषि-पंडित हैं जिन्हें हर वर्ष सम्मानित किया जाता है । अध्यापकों में भी हम प्रति वर्ष ऐसे अध्यापकों का चयन करते हैं जिन्हें हम सम्मान का अधिकारी समझते हैं और सार्वजनिक रूप से उन्हें सम्मानित करते हैं । खेलों के लिए भी इसी तरह के अभिनन्दन का प्रयत्न हुआ है ।

लेकिन भारत-रत्न, पद्म-भूषण, पद्म-विभूषण और पद्म-श्री के खिताब जिस तरह से बाँटे जा रहे हैं उससे देश का सार्वजनिक जीवन दूषित हो रहा है । इन व्यक्तियों का चयन कौन करता है ? किस आधार पर चयन किया जाता है ? सभापति जी, आपको याद होगा, कई व्यक्तियों ने जो खिताब उन्हें दिया गया उसे लेने से इनकार कर दिया ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : बाद में लिया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बहुत से लोग लेने के लिए नहीं आए । यह बात सबके लिए लागू नहीं होती ।(व्यवधान)..... यह ऊँचा-नीचा बया ? यह समाजवादी व्यवस्था में ऊँचा-नीचा कैसा ? और इसका सोदा, इसके लिए शर्तें, इसके लिए रूटना, मनाना यह अच्छी पद्धति नहीं है ।..... (व्यवधान)..... नेशनल हेराल्ड के सम्पादक श्री चेलापति राव नहीं आए लेने के लिए ।

एक माननीय सदस्य : पंडित कुंजरू ने भी नहीं लिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पंडित कुंजरू भी सम्मानित व्यक्ति हैं। और इस सरकार से कौन ऐसा सम्मान लेना पसन्द करेगा? ऐसा सम्मान जिसे वापस कर दिया जाय। यह बताता है कि जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उनसे पूछा नहीं गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार की स्थिति उस समय क्या होती है कि सम्मान दे दिये, लेकिन जिसको सम्मानित किया जा रहा है, वह कहता है कि हमें सम्मान नहीं चाहिये। यह तो सरकार अपना अपमान करती है, लेकिन मुझे सरकार के अपमान की चिन्ता नहीं है, यह सरकार अपमानित होने लायक है ही, मुझे भारत के नागरिकों के सम्मान की चिन्ता है। सरकार इस तरह के खिताब बाँट कर नागरिक नागरिक में भेद करे, नागरिकों में से अपने दरबार की परिक्रमा लगाने वाले व्यक्तियों को तैयार करे, जिन अधिकारियों की कृपा के कोर के बल पर यह सम्मान दिया जाता है, उनकी अभ्यर्थना की जाय। यह स्वतंत्र देश के स्वाभिमानी नागरिकों के लिए ठीक नहीं है।

सभापति जी, यह भी एक प्रश्न है कि किसको दिया जाय और किसको न दिया जाय? क्या इसमें राज्य सरकारों की राय ली जाती है.....

16.00 hrs.

श्री राम धन (लालगंज) : ली जाती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ठहरिये। दिल्ली में भारतीय जनसंघ का प्रशासन है, हम से राय नहीं ली गई। दिल्ली में ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया, जिनके सम्मानित करने के हम खिलाफ थे...

श्री मु० अ० खाँ (कासगंज) : यहां राज्य सरकार कहाँ है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसलिए हम राज्य मांग रहे हैं। दिल्ली प्रशासन से कोई सलाह नहीं ली गई...

सभापति महोदय, मैं नहीं जानता कि यह कहां तक ठीक है, लेकिन आरोप गम्भीर है और मैं गम्भीरता के साथ उसको लगाना चाहता हूँ, बम्बई से मेरे पास इस आशय की खबरें आई हैं कि इस वर्ष खिताब देने में कुछ रूपयों का आदान प्रदान भी हुआ है। यह किस स्तर पर हुआ है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी ने सम्मान प्राप्त करने के लिए केन्द्र में धन दिया, इस तरह की अफवाहें भी गर्म हैं। ये अफवाहें निराधार हो सकती हैं, लेकिन ये अफवाहें फैलाई जाती हैं, यह इस बात के लिए कारण प्रदान करता है कि सम्मान देने की पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए।

सभापति जी, इस वर्ष एक अभिनेता को पद्म श्री दिया गया है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वह हिन्दी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नहीं हैं। क्या चयन करने में धांधली की गुन्जाइश नहीं है? क्या यह मंत्रिमण्डल के स्तर पर निर्णय होता है या गृह मंत्रालय निर्णय करता है या गृह मंत्रालय के अवर या प्रवर सचिव निर्णय करते हैं।..... (व्यवधान).....लेकिन अब तो प्रधान मंत्री और गृह मंत्री दोनों ही एक हैं, तब तो सारा मामला और भी आपत्तिजनक हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में इतने अधिकार केन्द्रित करना दुरुपयोग का दरवाना खोल देता है। इसलिए सरकार के हित में भी यही है और सरकार का संचालन करने वालों के हित में भी यही है और भारत के 50 करोड़ नागरिकों के सम्मान का तकाजा भी यही है कि इस तरह के खिताब बाँटने की दूषित, विकृत, अर्वाच्यनीय और अनुचित प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाय।

श्री राम धन : गुरुदक्षिणा भी बन्द कर बीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जैसे बेलों से तो दक्षिणा लेनी ही पड़ेगी। जिन्हें इतना पढ़ाया, कुछ समय में नहीं आया, तो दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि संविधान के निर्माताओं की मंशा को ध्यान में रख कर और पिछले 23 सालों के अनुभवों के प्रकाश में यह सदन आचार्य कृपालानी के बिल को पास करेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का, जो आचार्य कृपालानी जी लाये हैं, पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं यह समझता हूँ कि उन्होंने अपने आखरी जीवन.....अपने जीवन के आखिर में इस चीज को महसूस किया और इस देश की आबोहवा को कुछ गन्दगी से बचाने की कोशिश की है। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।

सभापति जी, अभी कुछ नाम आपके सामने आए, जिनको पद्म विभूषण या पद्म श्री दिये गये हैं। यह अजीब देश है, जिसकी कोई भी नहीं है, वह पद्म श्री हो जाता है, विद्या के साथ जिसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है, वह विद्याभूषण तो नहीं, लेकिन पद्म विभूषण हो जाता है। अभी गूजर भल मोदी का नाम लिया गया, तो कुछ आपत्ति हुई...

श्री राम धन : चरण सिंह ने दिया था।

श्री स० मो० बनर्जी : कोई भी दे। हम लोगों ने यह कहा था कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है, जिसकी वजह से उनको पद्म

विभूषण दिया गया? सभापति महोदय, मैं जानता हूँ कि जिस वक्त मोदीनगर में हड़ताल हो रही थी, उस वक्त वहाँ पर पुलिस को बुला कर गोली से 6 मजदूरों का शिकार किया गया, उनके बाल-बच्चों को अनाथ किया गया, उनकी बीबियों को गरजते हुए सिन्दूर को पोंछ डाला गया, क्या यह बहुत बड़ा काम था जो मोदी साहब ने किया था? आप यह देखें कि समय के साथ साथ वह किस तरह बदलते हैं। अंग्रेजों के जमाने में रायबहादुर का खिताब जिसे मिलता था, जिसके दरवाजे पर हम लोग जाकर चिल्लाते थे—टोड़ी बच्चा, हाय हाय, ये थे अंग्रेजों के जमाने के राय बहादुर। उसके बाद जब आजादी आई, कांग्रेस हुकूमत में आई, तो उनको पद्म विभूषण या पद्म श्री दिये गए। मुझे ताज्जुब मालूम होता है, उनके कौन से सुरखाव के पर लगे हुए हैं? एक उद्योगपति हैं, मुनाफा कमाते हैं और मैं समझता हूँ कि गरीबों के खून को निचोड़ कर वह अपनी पूंजी जमा करते हैं, इसलिए पद्म विभूषण दिया गया। मुझे कुछ भाइयों ने कहा चरण सिंह साहब ने उनको रिकमेण्ड किया था, तो चरण सिंह की बात उस वक्त आपने इतनी ज़्यादा क्यों मानी, न मानते, हम तो हमेशा नहीं मानते...

श्री रवि राय : आप तो उनके साथ एका करने वाले थे।... ..(व्यवधान).....

श्री स० मो० बनर्जी : देश की आज क्या हालत है? एक सिद्धेश्वरी देवी जी हैं, जिनको पद्म श्री का खिताब दिया गया है। आप जानते होंगे भ्रायद आपको दिलचस्पी हो कि आज तुमरी संगीत में बह अद्वितीय हैं, उनके मरने के बाद कोई इतना बड़ा संगीतकार पैदा नहीं होमा। उनको पद्म श्री का खिताब मिला, जब उन्होंने कहा कि मुझे रहने के लिए मकान दो, तो आज पद्म श्री पटौदी हाउस में रहती हैं, वहाँ उनको रहने के लिए जगह दे दी गई। मद्रास में एक

क्लेरनेट बजाने वाले को प्रेजिडेंट एवार्ड दिया गया, लेकिन उसके घर में फाकाकशी है और सुना तो यह गया है कि वह एवार्ड प्राप्त क्लेरनेट का बजाने वाला इन्तिजार करता है कि कब किसी बूढ़े की मौत हो, तो उसके जनाजे के साथ साथ क्लेरनेट बजाता चले, जो उसकी आजीविका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गलत लोगों को गलत तरीके से ये एवार्ड दिये जा रहे हैं।

श्री साल्वे साहब ने इसके कुछ कांस्टी-बूशनल आस्पेक्ट दिखलाये। कांस्टीबूशनल पंडित तो मैं नहीं हूँ, मैं तो विश्वास करता हूँ कि इस कांस्टीबूशन को बदलना चाहिए और जिस रफतार से इसको बदलने की कोशिश नाथपाई जी कर रहे हैं, अगर साल-दो-साल रह गये, तो शायद पूरा ही बदल देंगे।

मुझे सिर्फ यह कहना है कि ये एवार्ड इन लोगों को ही नहीं दिये गए, इसी दिल्ली शहर में—मुझे खुशी है श्री अटल बिहारी जी ने अपना भाषण देते हुए कुछ ऐसे व्यक्तियों का जिक्र किया, जिनसे वह सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। यहाँ पर आचार्य जी ने भाषण देते हुए एक व्यक्ति का नाम लिया, जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं—श्री घटक—जिन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ ऐसे शब्द कहे जो आपत्ति-जनक थे, लेकिन फिल्मों में कैरेक्टर को दिखाते हुए, आजकल के नौजवान ऐसे भी हो गये हैं, उस रेफरेंस में उन्होंने कहा था। हो सकता है कि वे गलत हों, लेकिन इसी दिल्ली के** उनको पद्म विभूषण या पद्म श्री दिया गया,**.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बिलकुल गलत बात है, शाररत की बात है।

श्री स० मो० बनर्जी : **

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : समापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। इन्होंने यह कहा है कि **

मैं इनको चुनौती देता हूँ, ये इस बात को साबित करें. यह बिलकुल झूठी बात है (व्यवधान)... ये कहते हैं कि नाम नहीं लिया, ठीक किया लेकिन मैं नाम लेता हूँ। ये बाहर इस बातको बोहरायें और मुकदमे का सामना करें। यह सदन क्या इसीलिए है ? **

लेकिन बाद में बरी हुए और जिन्होंने हत्या की थी उनको फांसी के तखते पर चढ़ा दिया गया।

** इसलिए बनर्जी साहब ने जो आरोप लगाया है उसको वापिस लें।

श्री स० मो० बनर्जी : ** अब उन्होंने जो संशोधन कर दिया ** उस चीज को मैं मान लेता हूँ।(व्यवधान).....

सभापति महोदय : आपने जो नाम लिया है या जो वाजपेयी जी ने नाम लिया है वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं कुछ चीजों में श्रद्धा भी करता हूँ।(व्यवधान) ...तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह का खिताब देने से पहले यह भी देखा जाये बाका-यदा कि आखिर उनका पास्ट क्या था और वह आज क्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब किसी दूसरे का नाम लिया जाता था, एक रेफरेंस से हटाकर दूसरे रेफरेंस में लाकर, तब भी अगर अटल जी इसी तरह से विरोध करते तो मैं समझता कि अटलजी निष्पक्ष हैं। अगर मैंने किसी का नाम ले लिया तो उनको बुद्ध लग गया। मुझे उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है।

सभापति महोदय : आप अपने प्वाइन्ट्स पर आइये ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं उन्हीं प्वाइन्ट्स को ही कह रहा हूँ जिनको कि 'आचार्य' जी ने कहा है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि खेल कूद के मैदान में भी जो एवार्ड दिए जाते हैं उसमें भी काफी पार्श्लिटो होती है । कहा गया है कि आखिर वे किस तरह से दिए जाते हैं । कमेटियां बनी हुई हैं जरूर लेकिन उसमें काफी सिफारिशें चलती हैं । मुझे मालूम हुआ है इन्फार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अन्तर्गत जो सांग एंड ड्रामा डिवीजन है उसके जो डायरेक्टर है जिनके खिलाफ पचासों चार्ज हैं, इसी सदन में मेरे मित्र जार्ज फरनेन्डीज और दूसरे लोगों ने जिन को उठाया है, उनका केस भी रिकमेंड कर दिया गया है कि उनको पद्मश्री दी जाये । मैं समझता हूँ जिस तरह से अंग्रेज लोगों को गुलाम बनाने के लिए रायबहादुर, रायसाहब या खान-बहादुर का खिताब दिया करते थे या राजा-बहादुर और सर का खिताब दिया करते थे तो सारी जिन्दगी वे लोग उनकी गुलामी करते थे(व्यवधान).....

श्री राम धन : लेनिन पुरस्कार के बारे में श्री कुच्छ कह दीजिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : हिन्दुस्तान के बारे में आज बात कर लूँ, कल लेनिन के बारे में भी बता दूँगा ।(व्यवधान)..... आर्डर आफ लेनिन वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दिया जाता है । आर्डर आफ लेनिन वहाँ पर है और आप भी यहाँ पर हैं इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पुरस्कार दिया जाये लेकिन प्रापर लोगों को रिवाइड दिया जाये । हमने ट्रेड यूनियन्स में शुरू किया है कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो है उसकी तस्वीर उस शाप में

लगी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं । लेकिन मेरा कहना यह है कि चाहे भारत रत्न हो, पद्म-भूषण हो या पद्म-विभूषण हो या पद्म-श्री हो, उसका आज नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है । मुझे मालूम नहीं कि कांस्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट का जो सवाल है वह कौन सी डेकोरेशन का है कौन सा क्या है लेकिन आचार्य जी ने बिल में कहा है :

"Provided that this prohibition shall not apply to cash awards by the State for meritorious service in any field; and other titles expressing spontaneous appreciation or gratitude of the people themselves, such as, "Mahatma", "Netaji", "Deshbandhu". "

अगर अटल जी को एतराज न हो तो मैं कह दूँ कि इसमें गुरुजी को भी शामिल कर लिया जाये । मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, इस देश में बहुत से गुरु, महात्मा और देशबन्धु हो सकते हैं ।(व्यवधान)..... कामरेड भी जोड़ सकते हैं लेकिन वह खिताब नहीं है । नेता जी इस देश में एक ही हैं, नेता लाखों हैं, उसी तरह से गुरु जी इस देश में एक ही हैं, गुरु बहुत लोग हैं । इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा । आप महात्माजी करिए तो बात समझ में आती है, महात्मा तो इस देश में बहुत से मिल जायेंगे । इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि यह पास हो जाये । मैं समझता हूँ इसके बारे में उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं आना चाहिए । उन्होंने कहा है :

"Nothing contained in this Act shall apply to decorations already conferred by the State. "

वह रेट्रास्पेक्टिवली होना चाहिए या लेकिन अगर रेट्रास्पेक्टिवली नहीं होता है तो प्रास्पेक्ट-

बली ही हो जाये। मैं तो चाहता हूँ कि जिन को मिला है उनसे वापिस मांगा जाये।

मुझे ताज्जुब है कि जिनको सर का टाइटिल मिला था उनको आज भी आप टेलीफोन डायरेक्टरी में देखें—सर पदमपत सिंहानिया, सर बीरेन मुकर्जी। कुछ इस तरह की आदत सी पड़ गई है। इसी तरह से लेडी बीरेन मुकर्जी, लेडी फलाने, आखिर वह सब क्या है? क्या हमारी लेडियाँ लेडियाँ नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको मना किया जाये और डायरेक्टरी से सर हटाया जाए। जब हम लोगों ने हमेशा के लिए सर को सरका दिया है तो फिर अब सर नहीं रहना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं पूर्ण रूप से इस बिल को सपोर्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि सदन इसको मंजूर करे।

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri): Mr. Chairman, Sir, the greatest thing in our country has been not merely the attainment of political freedom but the great challenge that has been there for the people to attain true freedom, and self-respect. That is why, in this Constitution, our Constitution makers have made a very clear distinction between what is permissible, what falls within the concept of democracy and socialism and what does not.

It was in the pursuit of this spirit that we got rid of old feudal titles and so on. And yet I am surprised to see that the very people who have fought tooth and nail with princes' privy purses, just recently, should now want to substitute those titles with other titles that they want to give.

It is surprising to find this conflict and confusion of ideas among the same people. (Interruptions) Now, if you create this new kind of class, a class which is obligated to those in authority, then I think you will be hitting at the very basis of man's self-respect. These titles are becoming cheaper by the dozen and those people who are really worthy have gone so far as to refuse these

titles. Mr. Tendulkar who wrote the Biography of Gandhiji, when he was offered a title, said to Jawaharlal Nehru, 'Do you want to equate me with these people whom you have given Padma Vibhusna and Padma Bhushan? I do not want your title. In recent years, Shrimati Asha Devi Aryanayakam also refused to accept the title. Does this Government want these decorations are reduced to mere trinkets? That is what it will mean when the people will have no respect for the decorations because the decorations will be given to people who are not worthy of those decorations. Is this what you want to reduced these decorations to? I have nothing particular against people being enslaved by it because those slaves will continue to be slaves and these who have self-respect will continue to have self-respect. Does not this Bill really reflect the spirit of the Constitution? All the practice of the last few years has been in violation of the spirit of the Constitution. It is not really the words that you put into your constitution which matters. It is how you implement these words with what meaning it has. If you reduce these decorations to nothing by giving them to people who do not carry respect of the people in general, then you will be reducing the decorations to nothing.

Further, during the British time the British were here, you know Knighthood can be get if you just gave a few thousands to the War Fund. Khan Bahadur and Rao Bahadur were given to those people who were informers or their own people. Even I will go as far as to say that people who shone in the military field were not always decorated, but those, who informed them of their colleagues, got the decorations. We do not want those traditions and those practices to continue when we are an independent India. That is why I think this Bill requires to be supported, I don't think that quibbling with words and meanings has anything to do with the spirit of this Bill, I am in full agreement with what Acharya Kripalaniji has said and I am in full agreement with his Bill and I hope the House will support it. Because this is moved by an Opposition Member, I don't

think, therefore, the Government Party should oppose it.

SHRI N. K. P. SALVE : He is an independent Member.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : Yes, he is an independent Member, but he is not on the ruling side. But the fact that it is moved by a Member who is not sitting on the ruling side, I don't think, has anything to do with whether you support this Bill or not. This Bill is one, one should look at objectively. I don't even say that the Government will always utilise it as a form of patronage because patronage can only be given to those who accept patronage. There are many in this country who do not accept the patronage of the Government. As far as the scientists are concerned, as far as the intellectuals are concerned and as far as the artists are concerned, I wish the Government would give them means and wherewith all where by they can promote their art. This is done in more advanced countries, even in Russia. If he is an artist, the artist is allowed to continue to progress in his art by having that sort of life which will make him free of economic worries. What have we done for our artists ? What have we done for our scientists ? The other day I am reading the life of the late Mr. C. V. Raman who passed away recently, He also said what political pressures came in his way. Here was a great scientist and yet we could not make it possible for him to have a sort of life where he can be free from economic worries. If the Government really wanted to do something like that, then I will be one with them. I don't think these little toys and trinkets you will be distributing will do honour to the man. A man who deserves the honour will get it from the people.

Sir I trust and hope that this Bill will be passed with a large majority.

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : सभापति महोदय, मैंने विरोधी दल के सदस्यों के भाषण बड़े गौर से सुने कि इन खिताबों को देने समय या लोगों को सम्मानित करते वक्त कहीं-कहीं और कई लोगों के बारे में गलतियाँ

हो गई होंगी, लेकिन मैं यह नहीं मानता हूँ कि इस देश में जो सम्मानित करने योग्य लोग हैं उनका सम्मान नहीं होना चाहिये।

अगर आप संविधान की धारा 18 पर निगाह डालेंगे और आचार्य कृपालानी ने जो बिल पेश किया है उसको स्वीकार कर लिया जायेगा तो इस बारे में जरूर कठिनाई पैदा होगी कि ऐसे लोगों को कैसे सम्मानित किया जाये। संविधान यह नहीं कहता कि किसी भी आदमी का मनमाने ढंग से और मनचाहे तरीके से सम्मान किया जा सकता है और उसको खिताब दिया जा सकता है। जिस तरह का यह बिल लाया गया है अगर उसको उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाये तब जरूर हम लोगों के सामने कठिनाई आयेगी।

श्री जी० भा० कृपालानी : अगर मुझ को मालूम होता कि यह आपको पसन्द नहीं है तो मैं इसको लाता ही नहीं।

श्री रा० धो० भण्डारे : यहाँ पसन्द और नापसन्द का सवाल ही नहीं है। संविधान में...

श्री जी० भा० कृपालानी : एक लफ्ज धाप कह देते तो मैं इसको लाता ही नहीं।

At least I think you will not accept a whip but only freedom of vote.

SHRI R. D. BHANDARE : There is no question of whip or freedom of vote

SHRI J. B. KRIPALANI : I know you have overwhelming majority, you can turn day into night and night into day.

SHRI R. D. BHANDARE : I do not want to join issue with Acharyaji.

जिस समय यह संविधान तैयार किया गया था मैं समझता हूँ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े गौर से इस पर ध्यान दिया होगा। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि संविधान में

ऐसी एक धारा होनी ही चाहिये तब उन्होंने प्रवचन इम पर पूरी तरह से विचार किया होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को खिताब देने में या टाइटल देने में गलती हो गई हो। इस कारण से ही संविधान की धारा को निकाल देना ठीक नहीं होगा। यह हाउस के लिए भी सम्मानित बात नहीं होगी। देश में कितने ही सुपुत्र पैदा हुए हैं जिनका सम्मान राष्ट्र को करना ही चाहिए। अगर ऐसी अवस्था पैदा हो जायेगी और संविधान में ऐसी धारा नहीं होगी तो फिर देश के सामने कठिनाई पैदा होगी। उस कठिनाई का विचार संविधान के निर्माताओं ने जरूर किया होगा। चूंकि किया है, इसीलिए संविधान में यह धारा आई है। हां, एक अड़चन जरूर पैदा की है इस धारा ने। बाहर का कोई देश अगर अपने देशवासी को खिताब देता है, वहां की गवर्नमेंट देती है या टाइटल देती है तो ऐसे टाइटल को स्वीकार करने का अधिकार...

सभापति महोदय : जिस वक्त वनर्जी साहब बोल रहे थे तब उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका नाम लिया। मैंने दोनों शब्द हटा दिये हैं। इन्होंने नाम लिया वह और दूसरा शब्द है वह।

श्री रा० धों० भण्डारे : मैं डर गया कि कहीं मेरी हिन्दी में बहुत गलतियाँ तो नहीं होने लग गई हैं।

मैं यह कह रहा था कि अगर दूसरे देशों से हमारे अपने देश के लोगों को खिताब या टाइटल देने की कोशिश की जाती है तो वह जरूर ब्राइबरी होगी और हमारे देशवासियों को दूसरे देशों से सम्मान का टाइटल नहीं लेना चाहिये। अगर यह विचार व्यक्त हुआ है और अगर यही विचार प्राचार्य कृपालानी का है तो मैं समझता हूँ कि इस बिल को लाने की आवश्यकता नहीं

है। इस मामले में हम उनके साथ एक मत हैं। इस मामले में कोई मतभेद नहीं हो सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक मत के हैं तो मत दीजिये इसके पक्ष में।

श्री रा० धों० भण्डारे : अगर दूसरे देश अपने देशवासियों को टाइटल देने की कोशिश करेंगे तो उसका हम विरोध करेंगे और हम सब को उसका सख्त विरोध करना चाहिए। हमारे देश में अगर शास्त्रज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं या और अच्छे लोग हों जिनका सम्मान होना चाहिये तो क्यों उनको उस सम्मान से वंचित रखा जाए? ऐसे लोग जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और जिन के बारे में आज पेपर में पढ़ा कि बहुत नौजवान हैं.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पेपर में पढ़ कर पता लगायेंगे कि नौजवान हैं?

श्री रा० धों० भण्डारे : यूथफुल बंचलर आया है। बैरिस्टर नाथपाई जी कोई किताब लिखेंगे इस देश में जो व्यवस्था चल रही है उसके बारे में या पार्लियामेंटरी प्रोसीजर के बारे में तो अवश्य वह इरेस्किन मे की तरह की ही किताब लिखेंगे। उस अवस्था में उनका सम्मान हम कैसे करेंगे? सम्मान करने के लिए.....

श्री नाथ पाई : किताब पढ़ कर। उसी से मेरा गौरव होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : खरीद कर पढ़ें, उससे ज्यादा सम्मान होगा।

श्री रा० धों० भण्डारे : लाइब्रेरी से ले लूंगा और घर में जाकर पढ़ लूंगा।

संविधान में सुधार करने की कोशिश से काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्राचार्य जी अपना बिल वापिस ले लें।

SHRI J. B. KRIPALANI : Let his Prime Minister come and say 'we do not want this.' Let Congressmen say that they have issued a whip to oppose this Bill. I will withdraw it. That is all, I give him a fair proposal. But let him not go about arguing this way and that.

श्री रा० घों भण्डारे : अगर कोई सम्माननीय आदमी हैं जैसे आज आचार्य कृपालानी जी हैं और हम इनका सम्मान करना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था होनी ही चाहिए, ऐसे लोगों का सम्मान करने के लिए एक रास्ता होना ही चाहिए। इसलिए मेरी उनसे प्रार्थना है कि वह इस बिल को वापिस ले लें।

SHRI NATH PAI : On a clarification. The next speaker you have called should perhaps be the last speaker. My reason is this. The recommendation of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions was to allot one hour for this Bill. But looking at the clock, I find that more than two hours have so far been utilised on it. My Bill which is next due for consideration is equally important. It is a very important Bill concerning the ratification of Governors nominations. I would like to know whether without the consent of the House, we can continue debating this Bill. After the next speaker has spoken, I shall move for closure so that we may proceed to a vote.

सभापति महोदय : मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आचार्य कृपालानी जी का जो बिल है वह भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलना चाहते हैं। उनको मौका मिल जाए ताकि वे बोल लें।

SHRI NATH PAI : अगर संसद की यह राय है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण है तो हम बड़े गौरव के साथ उसको स्वीकार कर लेंगे।

I want at least to begin my observations on my Bill today. May we have this understanding? I want your help. I have won a ballot after four years and I do not want to miss it.

SHRI B. P. MANDAL (Madhopura) : On a point of order. Only one hour was allotted for this Bill. It would have been better if those who had tabled amendments had been allowed to move them. But they are not being allowed to do so. The time for this Bill is now over. What happens to the amendments?

SHRI NATH PAI : How long shall we discuss this?

सभापति महोदय : थोड़े से लोग बोलने वाले हैं, उनको बोल लेने दीजिए। जब हम क्लॉक पर आयेगे तो आप मूव करिये।

श्री तुलशीदास जाधव।

श्री तुलशीदास जाधव (बारामती) : आचार्य कृपालानीजी ने जो बिल रखा है इसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसका एक कारण यह है कि हिन्दुस्तान का समाज टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त है। किसी जति, जमात या धर्म के टुकड़े के लोगों ने अपने आदमी को बड़ा बनाना होता है तो अपने अखबार में या दस आदमियों के सामने उसको पदवी वे दे देते हैं चाहे स्वातंत्र्य वार की हो या महात्मा जी की हो या कोई और हो। उससे मेरा मतभेद नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कोई माँ या बाप अपने लड़के के बारे में कहते हैं कि वह अच्छा है, या कोई दो आदमी कहते हैं कि फलां आदमी अच्छा है, तो उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन अगर गांव के सब लोग मिल कर कहते हैं कि फलां आदमी अच्छा है, तो वह डेमोक्रेसी का तरीका है। अंग्रेजी राज में यह तरीका नहीं होता था। उस समय कलेक्टर यह सिफारिश कर देता था कि फलां आदमी को राय बहादुर या खान बहादुर बना दिया जाये। वह एक अनडेमोक्रेटिक तरीका था।

स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश में चार प्रकार की पदवियां या विभूषण (डेकोरेशन्ज) दिये जाते हैं। भारत-रत्न, पद्म-विभूषण, पद्म-भूषण

श्रीर पद्म-श्री। इसी तरह मिलिटरी में महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र दिये जाते हैं। अब तक 14 व्यक्तियों को भारत-रत्न, 51 व्यक्तियों को पद्म-विभूषण, 320 व्यक्तियों को पद्म-भूषण और 469 व्यक्तियों को पद्म-श्री की पदवी दी गई है। कुल 854 व्यक्तियों को ये पदवियाँ दी गई हैं। हमारे देश में इतने लोगों को ये पदवियाँ कभी नहीं दी जाती थीं। यह एक अच्छी बात है कि अब हमारे देश में इतने लोगों को, विशेष रूप से नीचे के लोगों को, उनके गुणों और सेवाओं के लिए गौरवान्वित किया जाता है, उनकी सराहना की जाती है।

किसी जगह जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो किसी के खेत में से, जिसमें भनाज उगा हुआ है, हो कर जाने का शाटं कट है। और दूसरा राजमार्ग है, जिसको डेमोक्रेसी ने अपनाया है। इसका अर्थ यह है कि सब लोग मिल कर बैठें और यह तय करें कि फलां व्यक्ति ने अच्छा या प्रशंसनीय काम किया है। उसमें जितनी सच्चाई और ताकत होती है, उतनी कुछ लोगों द्वारा या किसी कम्युनिटी विशेष द्वारा अखबार या पब्लिक मीटिंग में किसी की प्रशंसा करने या उसको कोई पदवी देने में नहीं होती है। डेमोक्रेसी का तरीका उससे बेहतर है।

दुनिया में क्रिस्चियन धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म में सबका एक ही दर्जा और रहन-सहन होने के कारण लोगों में अच्छे बुरे या ऊँच नीच का भेद नहीं किया जाता है। लेकिन हिन्दू धर्म में चातुर्वर्ण्य और छं टे-छोटे टुकड़ों में विभाजन के कारण किसी गरीब या छोटे आदमी को कोई पदवी नहीं मिल सकती है। हमारे यहाँ मरने के बाद तो तुकाराम महाराज और नाम-देव महाराज के नाम से स्मरण किया गया, लेकिन उनके जीवन-काल में उनको तुक्या और नाम्या कहा जाता था। डेमोक्रेसी का यह तरीका अच्छा है कि सब लोग मिलकर बैठें और तय करें कि किसने अच्छा और सराहनीय काम किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सब मिल कर कहाँ बैठते हैं ?

श्री तुलशीदास जाधव : गवर्नमेंट के क्या माने हैं ? श्री वाजपेयी इस सदन में दस लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ? वे दस लाख लोग तो यहाँ आकर नहीं बैठते हैं। यहाँ पर श्री वाजपेयी जो कुछ कहते हैं, हम समझ लेते हैं कि वह उन दस लाख लोगों का मत है। जहाँ तक इन पदवियों का सम्बन्ध है, पहले जिले का कलेक्टर किसी व्यक्ति के बारे में सिफारिश करता है। उसके बाद बहाँ के सोशल वर्कर, स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उसके बारे में अपनी राय देते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रैजिडेंट की सम्मति ली जाती है। इतनी संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा विचार किये जाने के बाद ही किसी को ये पदवियाँ दी जाती हैं। इसलिए श्री वाजपेयी की बात सुन कर मुझे आश्चर्य होता है। जैसी किसी की आँखें हों, वैसी उसको दुनिया नजर आती है। अगर किसी ने पीला चश्मा पहना हो, तो उसको दुनिया भी पीली ही नजर आती है। मैंने तो यह नहीं सुना है कि पदवी प्राप्त करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने सुना है।

श्री श्रीचन्व गोयल (चंडीगढ़) : हरियाणा में ऐसे लोगों को ही मिले हैं : सारे ही ऐसे हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री तुलशीदास जाधव : हरियाणा में ऐसा हुआ होगा। महाराष्ट्र में कभी ऐसा नहीं हुआ है। दुनिया में 125 या 150 पाउंड के आदमी तगड़े होते हैं। अगर उनमें से एक पल्लू से बीमार हो जाये, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि सभी को पल्लू हो गया है या सभी जगह पल्लू फैल गया है। हरियाणा में ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैंने

[श्री तुलसीदास जाधव]

नहीं सुना है कि पाँच या दस हजार रुपया देकर किसी को पदवी मिल गई है।

महाराष्ट्र में पहले छोटे-छोटे शिक्षकों को कोई पूछता नहीं था, हालांकि वे पहले नम्बर का काम करते थे। अब स्थिति यह है कि स्कूल का प्रिंसिपल ऐसे टीचर की सिफारिश करता है और सोशल वर्कर्स तथा मिनिस्टर्स आदि की राय लेने के बाद इसको पदवी दी जाती है। अगर किसी गरीब आदमी को अच्छा काम करने के लिए सम्मान मिलता है, तो उसको अनुचित मानने का कोई कारण नहीं है। हमारे यहाँ सोलापुर के एक हैडमास्टर को भी पदवी मिली है, जिसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम अध्यापकों को सम्मानित करने का विरोध नहीं कर रहे हैं। वह अलग है, उसको रोकने का यह प्रयत्न नहीं है।

श्री तुलसीदास जाधव : मैं श्री विखे पाटिल का उदाहरण दे सकता हूँ। वह एक काश्तकार हैं, जो ज्यादा लिखना-पढ़ना नहीं जानते हैं, जो सिर पर देहात की पगड़ी बाँधते हैं। हिन्दुस्तान में सबसे पहले एक को-ऑपरेटिव शूगर फैक्टरी शुरू करने के लिए उनको पद्म-भूषण की पदवी दी गई है। यह सोचना गलत है कि केवल शहरों में रहने वाले पढ़े-लिखे लोगों को ही पदवियाँ दी जायें और देहात के लोगों के अच्छे काम की उपेक्षा कर दी जाये।

कृपालानी ज ने कहा है कि गवर्नमेंट मेरिट देख कर अवार्ड नहीं देती है और वह मेरिट की बेस्ट जज नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश में जिस किसी पार्टी की भी गवर्नमेंट होगी, वह प्रोसीजर के अनुसार अवार्ड या डेकोरेशन देगी।

ये पदवियाँ देने की प्रवृत्ति केवल हमारे देश में ही नहीं है। यू० एस० एस० आर० के संबि-

धान के आर्टिकल 49 में डेकोरेशन देने का प्राविजन है। हमने रूस में देखा कि बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों को अच्छा काम करने के लिए पदवियाँ दी जाती हैं। जिस किसी मजदूर को पदवी मिलती है, वह उसके साँचे पर लगाई जाती है। इस तरह पदवी देकर अच्छा काम करने वाले की सराहना की जाती है। गवर्नमेंट द्वारा अच्छा काम करने वाले को सम्मानित किये जाने पर उसको लोगों से भी सम्मान मिलता है। इससे लोगों पर यह असर पड़ता है कि अच्छा काम करने पर सरकार की ओर से मान्यता मिलती है और उन्हें भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। मैं समझता हूँ कि इन पदवियों से अच्छे कामों और गुणों को बढ़ावा मिलता है।

जैसाकि इस सदन को ज्ञात है, अपने नाम के आगे या पीछे पद्म-विभूषण, पद्म-भूषण या पद्मश्री की पदवी लगाने पर प्रतिबन्ध है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इन पदवियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है।

यू० एस० ए० में पदवियों के बारे में यह स्थिति है : In USA where the Constitution forbids the grant of titles of nobility, decorations such as the Congressional Medal of Honour or Distinguished Service Cross are given.

SHRI BABURAO PATEL (Shajapur) ; Mr. Nath Pai's is an important Bill. He is a man with a weak heart. Anymore postponement will injure him. we should take up that Bill now. (Interruptions).

श्री तुलसीदास जाधव : जब कांस्टीट्यूट प्रसेम्बली में इस विषय पर चर्चा चल रही थी, तो डा० बाबा साहब अम्बेदकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री मसानी ने अपने भाषणों में इन पदवियों के आर्टिकल को सम्मति दी है। फेवर किस जगह नहीं है, क्या टाइटल पर नहीं है, लेकिन यह सवाल यहाँ नहीं है। मेरा कहना

यह है कि कृपालानी जी जो बिल लाये हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने जो पहली बात रखी है कि जो चीज लोगों के दिल से, एक डेमोक्रेटिक ढांचे से निकलती है, उस चीज को आपको मान्य करना चाहिये, उसका विरोध करने का कारण नहीं है।

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : Sir whatever my friend, Mr. Salve might say in opposing this Bill, I on behalf of the PSP support it. We are trying to build up an egalitarian society, a democratic and socialist society. It is true that when the honour was conferred on Rajaji, he told the pressmen, "There is no real joy in a democracy unless there is comparison." He might have said like that, but a democracy does not function that way through comparisons, etc. This habit of giving awards or titles to persons for so-called meritorious service is an anachronism in the context of freedom. This is a relic of the British. The British had it as a symbol of feudalistic rule and we have copied it.

We have copied the British in so many ways, Even this Parliament is a copy of the British. We continue to copy the British in awarding titles to people. Should we continue this British relic even in the context of freedom ?

The purpose of this is to buy the loyalty of some people to certain organisations. It may be said that this has a corroding and corrupting influence. Should we continue this British relic even after freedom ? If a man has rendered,

Meritorious service, it is recognised by the people. There should be no official recognition of this sort. Mahatma Gandhi was recognised not by the British rulers; he was not given official recognition. But he was recognised by the people. We have so many illustrious sons and daughters of this country who have been recognised by the people.

I do not want to go into constitutional niceties. Article 18 as I have understood

it does not stand in the way of abolition of these titles, as Mr. Salve interpreted it. Even if the Constitution is against the abolition, I would say the Constitution should be amended so as to fit into the proper spirit of the times, viz., that we have an egalitarian society. That is why we have abolished the privy purses and privileges of princes, because the princes were an anachronism in the context of freedom. We have derecognised them. That shows everyone of us wants an egalitarian society. Why should we support the confirmation of titles on individuals ?

It said that the confirmation of titles is done on the advice of State Governments. I know a certain lady, a young woman, who got official recognition. Some other ladies were jealous of this lady getting official recognition.

SHRI BABURAO PATEL : How can a young woman be a lady ?

SHRI HEM BARUA : The other ladies were jealous and they started criticising her. Then a man said she is very friendly with the Chief Minister and therefore she got it. That man says that she is not only friendly with the Chief Minister but also invites him for lunch and dinner.

Therefore, on behalf of my party, I whole-heartedly support this Bill and I hope and trust that this House, which believes in socialism and democracy, would support this Bill.

MR. CHAIRMAN : Shri B. P. Mandal.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Sir, I move "that the question be put".

DR. RAM SUBHAG SINGH : It should be after Shri B. P. Mandal's speech.

श्री बि० प्र० मंडल : सभापति जी, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ.....

SHRI NATH PAI : Mr. Chairman, I rise on a point of order under rules 297. As usual, I am very keen to hear Shri Mandal. It is not my intention to prevent

anybody from speaking. I would like the House to be benefited by his speech. Nonetheless, there is a constitutional obligation. May I read rule 297 at p. 129? It says:

"At the appointed hour, in accordance with the Allocation of Time Order, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the completion of particular stage of the Bill or the resolution."

The time allotted for this in one hour and that is over. If the time is to be extended it can be done only with the consent of the House. Since there has been adequate debate on this Bill, I suggest that the question be put after we have heard Shri Mandal and then take up the next item, which is my Bill about Governors.

DR. RAM SUBHAG SINGH : I support it.

SHRI LOBO PRABHU : I also support it.

श्री श्रीकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, भ्रमी मैं भी इस पर बोलना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : आप बोलना चाहते हैं तो समय बढ़ाने के लिए मोशन दीजिये।

श्री श्रीकार लाल बोहरा : हम टाइम के एक्सटेन्शन की डिमाण्ड कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस डिबेट के लिये समय बढ़ाया जाय।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : श्रीकार जी का बिल बहुत महत्वपूर्ण है, इस के लिये समय बढ़ाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : कितना टाइम चाहते हैं ?

श्री श्रीकार लाल बोहरा : दो घन्टे बढ़ाये जाय।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इस पर मतदान करा लीजिये।

MR. CHAIRMAN : The question is ;

That the time for the debate on this Bill be extended by two hours from now."

Those in favour of it may say 'Aye.'

SEVERAL HON. MEMBERS : Aye.

MR. CHAIRMAN : Those against it may say 'No'.

SOME HON. MEMBERS : No.

MR. CHAIRMAN : I think the 'Ayes' have it.

SOME HON. MEMBERS : The 'Noes' have it.

17.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : All Right Let the lobbies be cleared.

Order, Order. The lobbies have been cleared.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : Are you putting the closure motion first ?

MR. CHAIRMAN : No, because no formal motion was moved for closure.

SHRI NATH PAI : I said, I move ;

"That the question be now put."

MR. CHAIRMAN : The motion was moved for extension of time.

SHRI NATH PAI : Before I moved it, Shri Lobo Prabhu moved it.

MR. CHAIRMAN : That is out of order.

SHRI NATH PAI : How ? I quoted rule 297 and moved :

"That the question be now put."

MR. CHAIRMAN : I had called for division on the motion of. Shri Onkarlal Bohra. Now, the question is :

"That the time for the debate on this Bill be extended by two hours from now."

The Lok Sabha divided :

Division No. 11] AYES [17.05 hrs.

Ahmed, Shri F. A.
Basumatari, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhandare, Shri R. D.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Bohra, Shri Onkarlal
Brahmrnanndji, Shri Swami
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chaturvedi, Shri R. L.
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Damani, Shri S. R.
Dhuleshwer Meena, Shri
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, Shri K. R.
Ganga Devi, Shrimati
Gautam, Shri C. D.
Gavit, Shri Tukaram
Girja Kumari, Shrimati
Gupta, Shri Lakhan Lal
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jadhav, Shri V. N.
Jagjiwan Ram, Shri
Kamala Kumari, Kumari
Karan Singh, Dr.
Kasture, Shri A. S.
Khan, Shri Zulfiqar Ali
Kisku, Shri A. K.
Kotoki, Shri Liladhar
Kureel, Shri B. N.
Kushok Bakula, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahajan, Shri Yadav Shivram
Mahida, Shri Narendra Singh
Mahishi, Dr. Sarojini
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Marandi, Shri
Mishra, Shri G. S.
*Mclahu Prasad, Shri

Oraon, Shri Kartik
Palchaudhuri, Shrimati Ila
Pant, Shri K. C.
Paokai Haokip, Shri
Partap Singh, Shri
Parthasarathy, Shri
Patil, Shri Deorao
Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Radhabai, Shrimati B.
Raghu Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Ram Dhan, Shri
Ram Swarup, Shri
Rao, Shri Jaganath
Rao, Shri J. Ramapathi
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Salve, Shri N. K. P.
Sen, Shri Dwaipayana
Shambhu Nath, Shri
Shashi Bhushan, Shri
Shastri, Shri Biswanarayan
Sher Singh, Shri
Siddheshwar Prasad, Shri
Sonavane, Shri
Sunder Lal, Shri
Tiwary, Shri D. N.
Tula Ram, Shri
Uikey, Shri M. G.
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Virbhadra Singh, Shri
Yadav, Shri Chandra Jee

NOES

Amat, Shri D.
Amin, Shri R. K.
Atumugam, Shri R. S.
Bajaj, Shri Kamalnayan
Banerjee, Shri S. M.
Barua, Shri Hem
Basu, Shri Jyotirmoy.
Chauhan, Shri Bharat Singh
Das, Shri N. T.
Deo, Shri P. K.
Dwivedy, Shri Surendranath
†Fernandes, Shri George
Gowder, Shri Nanja
Goyal, Shri Shri Chand
Himatsingka, Shri
Jai Singh, Shri
Jha, Shri Shiva Chandra

*Wrongly voted for Ayes

†He voted by mistake from a wrong seat and later informed the speaker accordingly.

Kripalani, Shrimati Sucheta
Kunte, Shri Dattatraya
Kushwah, Shri Yashwant Singh
Limaye, Shri Madhu
Lobo Prabhu, Shri
Majhi, Shri Mahendra
Mandal, Shri B. P.
Masani, Shri M. R.
Masuriya Din, Shri
Mehta, Shri Asoka
Mirza, Shri Bakar Ali
Misra, Shri Shrinibas
Mody, Shri Piloo
Mrityunjay Prasad, Shri
Mukerjee, Shrimati Sharda
Muthusami, Shri C.
Naik, Shri G. C.
Naik, Shri R. V.
Nath Pai, Shri
Nayar, Shrimati Shakuntla
Padmavati Devi, Shrimati
Patel, Shri J. H.
Patodia, Shri D. N.
Pramanik, Shri J. N.
Raju Dr. D. S.
Ram Subhag Singh, Dr.
Ramamoorthy, Shri S. P.
Ranga, Shri
*Rao, Dr. V. K. R. V.
Rao, Shri V. Narasimha
Ray, Shri Rabi
Sapre, Shrimati Tara
Sen, Shri P. G.
Shah Shri Shantilal
Sharda Nand, Shri
Sharma, Shri Beni Shanker
Sharma, Shri Yajna Datt
Shastri, Shri Sheopujan
Sheo Narain, Shri
Singh, Shri D. N.
Somani, Shri N. K.
Sreedharan, Shri A.
Supakar, Shri Sradhakar
Suraj Bhan, Shri
Vidyarthi, Shri Ram Swarup
Viswambharan, Shri P.

MR. CHAIRMAN : The result† of the division is :

Ayes : 71 ; Noes : 62 ;

The motion was adopted.

श्री बि० प्र० मण्डल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राचार्य कृपालानी जी के बिल का समर्थन करता हूँ। साथ-साथ मैं इसमें एक इम्प्रूमेंट भी करना चाहता हूँ कि स्वराज्य के बाद भारत सरकार के द्वारा जो भी टाइटिल या डेकोरेशन्स दिये गए हैं उनको अगर रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से न माना जाये तो बहुत अच्छा है। मैंने इस सम्बन्ध में एक अमेंडमेन्ट भी दिया है और जब ब्लाजवाइज डिस्कशन होगा तो मैं अपना अमेंडमेन्ट भी पेश करूँगा। अंग्रेजों की तो यह एक पालिसी थी कि खान बहादुर, राय बहादुर, राय साहब और राजा-महाराजा आदि के टाइटिल देकर अपने ल्यांजलिस्ट्स का एक क्रेडर तैयार करें ताकि हिन्दुस्तान पर अपना शासन कायम रखने में उनको आसानी हो। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद अब इसकी क्या जरूरत रह गई है, इस बात का पता नहीं चलता है। मेरी अपनी नालेज है कि ऐसे ऐसे लोगों को ये डिकोरेशन्स दिये गए हैं जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। हमारे बिहार राज्य के एक हस्तरेखा विशेषज्ञ को पद्मश्री का टाइटिल मिला है। दिल्ली में अगर किसी मिनिस्टर के यहाँ शादी होती है तो वे पुरोहित बनकर चले आते हैं। अगर किसी स्टेट मिनिस्टर को अपना हाथ दिखाना हो तो वे हाथ देखकर बता देंगे कि अमुक-अमुक उपाय करने से आप कैबिनेट मिनिस्टर हो जायेंगे। मुझे यह भी मालूम है कि कितने आदमी हाई कोर्ट के जज बनने के लिए उनके यहाँ गए। उनकी सिर्फ

*Wrongly voted for Noes.

†The following members also recorded their votes :

Ayes : Sarvashri Y. B. Chavan, Swaran Singh, K. Hanumanthaiya and Dr. V. K. R. V. Rao,

Noes : Sarvashri Dinkar Desai, Molahu Prasad, Satya Narain Singh, Bhagaban Das, Baburao Patel, and Atal Bihari Vajpayee.

इतनी ही क्वालिफिकेशन है कि हाथ देख कर बता देंगे कि पूजन कीजिए, दो सौ रूपए का खर्चा कीजिए। ऐसे व्यक्ति को भी पद्मश्री का टाइटिल दिया गया है। मैं समझता हूँ यह बिल्कुल ही बे-बुनियाद चीज है। इसमें कहीं भी मेरिट के हिसाब से या डिजनिंग ग्रादमी को टाइटिल नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि ग्रंथों ने अपनी खुशामद करने वालों का एक केडर बनाया था उसी तरह का एक दूसरा केडर इन लोगों ने भी शुरू किया है। जो इनकी खुशामद करने वाले हैं, ग्रंथ के टोप की जगह पर जो उजली टोपी वाले हैं, जोकि इनके पीछे चलने वाले हैं जेनरली उन्हीं लोगों का एक केडर ये हिन्दुस्तान में तैयार कर रहे हैं।... (व्यवधान) ... इसलिए मेरा कहना है कि आचार्य जी जोकि 22 साल तक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे थे, अब पुराने लीडरों में सिर्फ वही एक बचे हैं, वह अगर कोई सजेञ्चन देते हैं—वे आपसे कुछ मांगते भी नहीं—तो उसको इस तरह से लाइटली नहीं लेना चाहिए।... (व्यवधान) ... क्या स्वराज्य लेने में उनसे ज्यादा कन्ट्रीव्यूशन आप लोगों का रहा है? हमारा तो खानदानी कन्ट्रीव्यूशन रहा है सन् 1885 से, आप जाकर मालूम कीजिए। (व्यवधान) ... तो मेरा कहना यह है कि उन्होंने जो कन्फर्मन्ट आफ डेकोरेशंस ग्रान्ट परसन्स (एवालिशन) बिल पेश किया है उसको फौरन से पेश्तर मान लिया जाये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं समझता हूँ आज पद्मश्री, पद्म-विभूषण वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ओपन कम्पिटेशन होता हो और यूनिवर्सिटी से कोई टाइटिल मिलता हो तो मैं समझ सकता हूँ, अगर कहीं कुश्ती होती हो और हम सबसे अच्छे पहलवान को टाइटिल दें, जिसने लड़-भिड़ कर लिया हो, या किसी को ब्यूटी क्वीन का टाइटिल मिल जाय तो वह भी एक बात है। कम से कम उसमें कोई डिवाइन क्वालिटी तो है जिसकी वजह से वह ब्यूटी क्वीन कहलाती है। लेकिन जिसमें कोई बुनियाद न हो,

उसको हमको फौरन से पेश्तर हटा देना चाहिये। हिन्दुस्तान में राय बहादुर, खान बहादुर, राव साहब आदि की तरह का एक दूसरा क्लास तैयार करने की कोशिश की गई है। यहाँ कह दिया गया कि चूँकि यह रूस में है इसलिये हमारे यहाँ भी रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। श्री जाधव ने कहा कि रूस में वह गये थे और वहाँ भी उन्होंने इन टाइटल्स को देखा था कि लोग प्राप्त करते हैं। रूस ने चन्द्रमा में एक टैक्सी भी भेज दिया है। अगर आपको उसकी नकल करनी थी तो कम से कम एक वध्दी ही भेजते खिलौना-स्वरूप ही कुछ भेजते। तब तो मैं उनकी बात को समझ सकता था। लेकिन दुनिया में कहीं पर कोई खराबी हो उसकी तो हम नकल कर लें और जो अच्छी चीज हो वह आप से होने वाली न हो, तो यह ठीक नहीं है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम आचार्य कृपालानी के इस बिल को इतनी लाइटली न लें। मैं जानता हूँ कि आप भले ही उनकी बात लाइटली लें, लेकिन जो हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, आप जानते हैं कि उनमें आचार्य कृपालानी की कितनी कदर है। इसलिए जो चीज आचार्य कृपालानी कह रहे हैं उसको आप समझ लीजिये। गांधी जी की आत्मा उनके द्वारा बोल रही है। जो लीडर मरहूम हो गये हैं, वे बोल रहे हैं। आप इसको फौरन से पेश्तर मान लीजिये। जब इसकी सेकेन्ड स्टेज आयेगी तब मैं कहूँगा कि इसको रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से मान लिया जाये। मैं समझता हूँ कि आचार्य कृपालानी इसको मंजूर कर लेंगे।

श्री श्रींकारलाल बोहरा : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार प्रस्तुत करते समय मैं चाहूँगा कि सदन में इस विषय को गम्भीरता से लिया जाये और अच्छी तरह से विचार किया जाये। यह विषय बहुत गम्भीर है, लेकिन कई लोग इसको हास्य और मजाक के रूप में ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह

[श्री श्रीकारलाल वोहरा]

हमारी बुनियादी नीतियों और बुनियादी दृष्टि से सम्बन्धित विषय है।

साम्राज्यवादी शासनकाल में जो मान्यतायें और संस्कार काम कर रहे थे, लगता है कि वही संस्कार और मान्यतायें आज भी काम कर रही हैं हमारे यहाँ। साम्राज्यवादी शासन के समय यह बात समझ में आ सकती थी कि किसी ने अंग्रेजों की सेवा की, किसी ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करने के लिए उनकी सेवायें कीं और उन्हें सर, खान बहादुर, राय बहादुर आदि की उपाधियाँ दी गईं इस तरह अंग्रेजों ने इस देश में एक ऐसा वंग पैदा करने की कोशिश की जिनको बीच में रख कर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत किया। इसी तरह से सामन्तवादी व्यवस्था हमारे समाज में रही है जिसमें राजे महाराजाओं ने निरन्तर उपाधियाँ आदि देकर समाज में असमानता और विषमता कायम करने की चेष्टा की।

इस प्रसंग में जब हम आज लोगों को पद्म-विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न आदि की उपाधियाँ दिये जाने की बात करते हैं तब मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इन उपाधियों द्वारा हम क्या चाहते हैं। जब हम इन उपाधियों के द्वारा सरकारी मान्यता-प्राप्त और लोकजीवन से मान्यता-प्राप्त व्यक्तियों को सम्मान दे रहे हैं तो सरकार जिनको मान्यता प्रदान करना चाहती है उनको हम मान्यता दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो मेरा दृष्टिकोण है उसको मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहता हूँ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसी सरकार ने उपाधि नहीं दी, किसी शासन ने भी उनको पदवी नहीं दी, समस्त भारतवर्ष की जनता ने एक हृदय होकर गांधीजी को राष्ट्र-

पिता की सम्मानित दृष्टि से देखा। इसी तरह से चित्तरंजन दास को लोगों ने 'देशबन्धु' की उपाधि से विभूषित किया, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को 'नेताजी' के नाम से सम्मानित किया। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक को 'लोकमान्य' की उपाधि से विभूषित किया। यह उपाधियाँ थीं जिन पर भारतवर्ष मरता था। इन नामों को सुन कर जनता के सामने नेताओं की एक तस्वीर उभरती थी। लोकमान्य का नाम आते ही ऐसा लगता था कि स्व० तिलक की एक तस्वीर सामने आती जा रही है। विनोबा भावे एक ऐसे सन्त हैं जो कि राष्ट्रीय सन्त हैं। उनकी हमारे देश में प्रतिष्ठा है। सरदार पटेल का नाम आते ही लगता है जैसे बारडोली का सत्याग्रह सामने हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में उनको 'सरदार' के रूप में सम्मानित किया गया। इन उपाधियों से इन नेताओं का एक चित्र सामने आता है। उस आन्दोलन के दौरान इन पदवियों की कोई कीमत थी। इन पदवियों से हिन्दुस्तान में एक नव-स्फूर्ति और नई प्रेरणा लोगों को मिलती थी, और वह स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए कमर कस कर आगे आते थे। लेकिन आज जब हम इन उपाधियों के बारे में चर्चा करने बैठते हैं तो इन पदवियों और इन उपाधियों से जनता को कोई प्रेरणा नहीं मिलती। इन पदवियों और उपाधियों से कई बार ऐसी हँसी और मजाक का वातावरण बनता है जिसको शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है।

आज सोवियट रूस में भी जो सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन करेगा, उसको सम्मानित किया जायेगा, जो कारखाने में सबसे अधिक सम्पत्ति की वृद्धि करेगा उसको सम्मानित किया जायेगा। वहाँ कुछ वैज्ञानिकों, कुछ कलाकारों, कुछ साहित्यकारों, कुछ लेखकों को सम्मानित किया गया और उनका पूर्ण समर्थन हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले दिनों से हमारे यहाँ जो सम्मान दिया जा रहा है हम

पदवियों और उपाधियों को मार्फत, उससे जनता में कोई सम्मान की भावना नहीं पैदा हो रही है न उनसे कोई प्रेरणा मिलती है, बल्कि ऐसा लगता है कि इन पदवियों और उपाधियों से हम उनकी प्रतिष्ठा कम कर रहे हैं न कि उन का सम्मान कर रहे हैं।

मैं चाहता हूँ कि इस समय आचार्य कृपालानी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसकी भावनाओं की हम कद्र करें। आचार्य जी हमारे स्वातंत्र्य संग्राम के सबसे बड़े नेता रहे हैं, योद्धा रहे हैं, और जिस भावना के साथ उन्होंने बिल को प्रस्तुत किया है मैं चाहता हूँ उसका स्वागत किया जाये। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने गाँवों के अन्दर रहने वाले किस किसान को पद्म भूषण की उपाधि दी? किस कारखाने में काम करने वाले मजदूर को भारत रत्न की उपाधि दी? मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो इन उपाधियों का वितरण हो रहा है उसके पीछे कोई बुनियाद ही नहीं है आज अगर हम उपाधियाँ देते हैं तो उसके पाने वाले के प्रति हमारे मन में यह भावना उत्पन्न होनी चाहिये कि यह देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वाला रहा है और जिस तरह देश की जनता ने उनका मान किया, उसी तरह हम उनका मान करें। आज हमारे देश में जो मान्य हैं और जनता में जिनकी प्रतिष्ठा है हम भी उनका मान करें, लेकिन सरकारी उपाधियों के द्वारा नहीं। सरकारी मान्यताओं और राष्ट्रीय मान्यताओं, लोक मान्यताओं में बड़ा अन्तर है। हमको समझना है कि जिसको जनता स्वीकार करे वही असली उपाधि है। जब तक वह स्थिति नहीं आती तब तक सरकार द्वारा, राज्यों के द्वारा, सिफारिशों के द्वारा इन पदवियों और उपाधियों को वितरण करके हम इन उपाधियों का सम्मान गिराते हैं!

आज आचार्य कृपालानी के जिस प्रस्ताव पर हम चर्चा कर रहे हैं वह इस प्रसंग में कर

रहे हैं कि इन उपाधियों की महत्ता और गौरव कम हो गया है हमको इस महत्ता और गौरव को कम नहीं होने देना चाहिये कि जो परम्परा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय से चली आ रही है राय बहादुरों की, खान बहादुरों की, सर आदि की शायद उनकी नकल करने की दृष्टि से ही हमने इन उपाधियों को प्रारम्भ किया होगा। अगर हमने इन उपाधियों और पदवियों का आरम्भ इस आधार पर किया है कि एक उत्पादक किसान अच्छी शकूर पैदा करने वाला है, अच्छे हथियार पैदा करने वाला है, कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाला है उसको सम्मान मिले और उसको सम्मानित किया जाये, तब बात दूसरी थी। लेकिन आज हमारी इन उपाधियों और राष्ट्रीय आन्दोलन की उपाधियों में बड़ा अन्तर है। अब तक यह उपाधियाँ जो सरकार की अच्छी सेवा कर लेता है उनको मिला करती थीं, लेकिन यह सम्मान और पुरस्कार अलग चीज हैं। आज जब हम पदवियाँ देते हैं तो ऐसे लोगों को वह नहीं मिल सकती जो जनता की निगाहों में बढ़ चुके हैं, जिनके प्रति जनता में सम्मान स्थापित हो चुका है। आज जब किसी भ्रष्टाचारी शराबी या किसी ऐसे ही व्यक्ति को पद्म भूषण, पद्मभूषण या पद्मश्री की उपाधि मिलती है तो वह बार-बार चर्चा का विषय बन जाती है।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाये। हम इस विधेयक की भावनाओं की कद्र करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस पहलू पर स्वयम् विचार करे और स्वयम् अपनी तरफ से इस तरह का बिल प्रस्तुत करे ताकि जनता की भावनाओं और उसके विचारों का सम्मान हो। महामना मालवीय जी ने जब बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की तब लोगों ने उन्हें 'महामना' कहा। इसी तरह दीनबन्धु एंड्रज को दीन बन्धु की उपाधि से लोगों ने

[श्री श्रीकार लाल बोहरा]
विभूषित किया था ये सब देश के नेता थे जिनके लिए देश के करोड़ों लोगों के मन में सम्मान की भावना थी। क्या इसी तरह के सम्मान की भावना आज जिनको आप ये पदवियाँ देते हैं, उनके लिये जनता के मन में होती है? यदि नहीं होती है तो इन पदवियों और उपाधियों को हम जल्दी विद्वद्धार कर लें और जो वास्तव में उत्पादन के काम में चमत्कार दिखाते हैं, जो ताकत बढ़ाने का काम करते हैं, देश को समृद्ध बनाने का काम करते हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, उनको ही हम यह सम्मान दें। जो पदवियाँ और उपाधियाँ हमने अब तक दी हैं, मैं...चाहता हूँ कि उसकी भी जाँच की जाये। वस्तुतः किन किन को और किस किस आधार पर ये पदवियाँ और उपाधियाँ देना उचित होगा यह भी देखा जाना चाहिए और इसका भी जाँच से पता चल जायेगा। आज राज्य सरकार किसी का नाम प्रस्तावित कर देती है तो उसको उपाधि दे दी जाती है। जिस ने गांधी जी को गाली दी, हमने उसको पदवी देकर सम्मानित किया। कोई न कोई फ्राइटीरिया, कोई न कोई बैरोमीटर, कोई न कोई नाप तो होना चाहिए। देश भक्तों को, जनता के अन्दर काम करने वालों को आप क्या सम्मान दे रहे हैं? आज हमारे देश में स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान काम करने वाले हजारों और सैकड़ों लोग हैं, लेकिन उनको याद नहीं किया जाता है। आज सामन्तवादी और पूँजीवादी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर ये उपाधियाँ दी जाती हैं। उद्योगपतियों या किसी अन्य क्षेत्र में काम करने वालों को इसी तरह से उपाधियाँ देकर और उनको सम्मानित करके देश का गौरव नहीं बढ़ाते हैं और न ही सदन का गौरव बढ़ाते हैं।

यह जो विषय आया है, यह एक गम्भीर विषय है। जब उपाधियाँ देकर किसी को सम्मानित किया जाता है तो देश में एक वातावरण

बनता है, वह चीज देश में एक चर्चा का विषय बनती है और कई बार सरकार को आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। इस वास्ते मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इसको इस दृष्टि से सोचे कि जिनको ये पदवियाँ प्रदान की जाती हैं क्या भारत की जनता उन लोगों को उसी सम्मान के साथ और उसी गौरव के साथ देखती है जिस सम्मान और गौरव के साथ स्वतन्त्रता आन्दोलन के दिनों में हमारे नेताओं को देखा जाता था, जो लोकमान्य नेता थे, जो जनता द्वारा पूजित थे और सम्मानित थे। नहीं लेती है। यदि मेरी यह बात सही है तो मैं समझता हूँ कि ये पदवियाँ अर्थहीन हो जाती हैं, इनका महत्त्व खत्म हो जाता है।

इन शब्दों के साथ आचार्य कृपालानी जी ने जो विधेयक रखा है, उनकी भावनाओं का मैं हादिक समर्थन करता हूँ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : जो विधेयक आचार्य जी ने पेश किया है, इसके बारे में दो चार शब्द मैं कहूँगा जिससे यह साफ हो जायेगा कि यह विधेयक सविधान की धारा के विपरीत जाता मालूम होता है। इसके आर्बैक्ट्स एण्ड रीजिंज में इन्होंने आर्टिकल 18 का जिक्र किया है और (2), (3) और (4) भाग जो हैं, उनसे इनका कोई विरोध नहीं है। शुरू से ही इनके विल में डेकोरेशन (अलंकरण) है। लेकिन डेकोरेशन और "टाइटल" में काफी फर्क है। दूसरे देशों में भी डेकोरेशन (अलंकरण) दिये जाते हैं। कोरिया के संविधान में यह लिखा है।

"The awarding of decorations or marks of honour in any form shall be effective only for recipients and no privileged status shall be created thereby."

नावें में भी अलंकरण की प्रथा है। श्री तुलशी दास जाधव ने भी अभी कहा है कि 'टाइटल' और "एवार्ड या डेकोरेशन" में काफी फर्क है।

मैं श्री नाथगार्ड जी तथा श्री लिमये जी जैसे विधि वेत्ताओं से कहूंगा कि आप लोग बैठ कर इन तीनों शब्दों का स्वच्छ अर्थ लगायें, ठीक-ठीक अर्थ लगायें और बतायें कि क्या इन में फर्क है या नहीं है। हम दूसरे अग्रगामी देशों में भी देखते हैं कि बराबर एवार्ड और डैकोरेशन दिये जाते हैं। आचार्य जी के दिल में भी वही है।

जहाँ तक संविधान की धारा 18 का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में संविधान सभा में काफी बहस हुई थी और उस बहस में से कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। श्री बालकृष्ण शर्मा ने उस वक्त कहा था :

"We have time and again tried to honour the dignitaries of this country in so many ways. We call some one 'Acharya' and Mr. President, we call you 'Deshratna'. We call Mahatma Gandhi by the name of 'Mahatma'."

यह बात आज नहीं, पुरातन काल से चली आ रही है, तब से ये शब्द प्रसिद्ध हैं। पुराने समय में आप जानते ही हैं कि जितने भी बड़े लोग होते थे चाहे वे विश्वामित्र हों, या ब्राह्मण हों, काम से ऐसे जाने जाते थे। विश्वामित्र ने सारी दुनिया को कहा कि भारत में कर्म से ही कोई ब्राह्मण बन सकता है। कर्म से ही विश्वामित्र राजपि बने। उन दिनों में जो दो वेद जानते थे उन्हें द्विवेदी कहा जाता था। और जो लोग चारों वेद जानते थे उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। इस तरह से डैकोरेशन और एवार्ड का इतिहास बहुत पुराना है। 1955 में प्रेजिडेंट साहब ने उसे फिर शुरू किया।

संविधान सभा की एक दूसरी और बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सब बातें संविधान सभा में आई थीं। मसानी जी नहीं हैं। मसानी जी ने भी उक्त बहस में भाग लिया था। उन्होंने और श्री बालकृष्ण शर्मा जी ने बहस की थी। जब इस 18वीं धारा का बर्हा अपोज-विरोध-

किया गया तो श्री श्रीप्रकाश ने यह कहा था :

"Criticising the stand taken by Shri Sharma and maintaining that the clause did not prevent the people or even the State from bestowing appropriate honours on distinguished individuals, Shri Shri Prakash observed that what was intended was to make a distinction between titles and honours, a title being something that hung to one's name..."

हम देखते हैं कि संविधान सभा में भी इस बार काफी बहस हुई और हमारे नेताओं ने कहा कि टाइटल में डैकोरेशन (अलंकरण) में बहुत फर्क है, टाइटल में और आनर में फर्क है।

स्वराज्य के बाद एक वातावरण बना। मुगल काल के टाइटल और अंग्रेजों के वक्त के दौरान दिये गए राय बहादुर, खान बहादुर, 'सर' (नार्ड) और राय साहब आदि के टाइटल का विरोध हुआ और उसके खिलाफ वातावरण बना। उस वक्त लोगों ने सोचा कि जो उपाधियाँ दी जाती हैं वे टाइटल नहीं हैं। एवार्ड हैं, डैकोरेशन हैं।

मैं चाहता था कि श्री कृपालानी इस विषय को बड़ा व्यापक बना देते जिससे एक जाति से दूसरी जाति अलग मालूम नहीं होती तो अच्छा था। आप देखेंगे कि कोई "सिंह" कहलाता है, कोई "सिंह-यादव" कहलाता है और कोई किसी दूसरे जातीय नाम से जाना जाता है। यदि आप नाम पूछते हैं तो कम से कम मैं पूर्वी अंचल में आता हूँ कि नाम से ही मान हो जाता है कि वह किसी खास वर्ग का नहीं, बर्ण का नहीं, जाति का आदमी है। काम से व्यक्ति को नहीं आंका जाता है। "कृपालानी" भी कुछ ऐसा ही टाइटल है। जिस शब्द के बाद 'शानी' लग जाता है, उससे मालूम होता है, कि वह सिंधी है। यह एक प्रकार का विभेदक है। इससे पता लग जाता है कि वह सिन्धी है। इस तरह से टाइटल को मिटाना बहुत जरूरी

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

है। आपको मालूम है कि अभी भी हमारे गांवों में लोग कुम्भकार को पंडित कहते हैं—

सभापति महोदय : आपको अभी और बोलना है तो आप अगली बार अपना भाषण जारी रखें। अब आघ घंटे की चर्चा होगी।

17.29 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION
RE : SHIFTING OF INDUSTRIES
FROM WEST BENGAL TO UP

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : As I have not been well, if you permit, I would like to more or less read out my speech and that, sitting.

MR. CHAIRMAN : Yes.

SHRI SAMAR GUHA : The stories of the horrible picture of head-hunting and blood-baths have very often been brought to the attention of the Parliament. But in my opinion, these are only the outer symptoms of the deeper malady that faces West Bengal today. West Bengal is on the verge of a structural collapse in regard to its present industry and its future potentialities. If the deeper malady is not dealt with with the utmost urgency, the industrial collapse in West Bengal will provide faster breeding ground for more chaos, violence and more blood bath.

West Bengal today faces an industrial crisis hitherto unknown in the life of the nation. West Bengal produced 28 per cent G. N. P. of the whole nation, but now it has come down to only 14 per cent. West Bengal is facing abnormal industrial uncertainties. The head offices of the big industrial houses are being shifted out of the State. Many industrial concerns are shifted under the camouflage of opening a second unit outside West Bengal, reducing the industrial potentialities of the State. Capital earned out of the labour and resources in West Bengal are being invested in Haryana, Maharashtra, U. P., Bihar and other

States. New licences for industrial concerns have abnormally declined, and a number of industrial concerns are under lock-outs, closures and strikes or are getting liquidated due to sick conditions. Expansion and investment in industries are dangerously shrinking and employment potential is declining alarmingly. Private and official agencies from different States are offering various inducements to small, and medium and large scale industries in West Bengal to shift to other States. If this condition in West Bengal goes on, it will definitely create further crisis for the State.

Though officially it has been denied that there has been any shifting of industries from West Bengal except for a dozen, I can give you a number of head offices of big industrial houses like Birla Brothers, Thapars, Sabu Jains, K. K. Jajodia, Binnis and other sugar mills which have already shifted from West Bengal. Though it is very difficult to give exact figures about the industrial concerns so far shifted from West Bengal as Government has not investigated into the matter, I can cite the names of a few concerns like Jay Engineering Bengal Lamps, Kiran Lamps, Annapurna Sugar Mills, Sulekha Inks, SUR, Refrigerators, Bengal Enamels and many other industries which have already started second units outside West Bengal. Strongly, Jay Engineering is encouraging a strike in its Calcutta concerns in order to ultimately kill itself, so that its second units may prosper in Agra and Hyderabad. If Jay Engineering is liquidated, 10,000 refugee families will be rendered unemployed, creating serious trouble for West Bengal. As there is no control over transfer of capital, it is obvious that all the second units of the industrial concerns outside West Bengal are being opened there with the capital and the resources earned in the State of West Bengal.

No new investment and no fresh expansion of industries are to be seen in West Bengal and applications for new licences for starting new industries are rapidly declining. This will be clear from the following figures. In 1955 the number of applications for starting new industries